उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम), अधिनियम 1950

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1950)

THE UTTAR PRADESH LANGUAGE (BILLS AND ACTS) ACT, 1950

(U.P. Act No. 1 of 1950)

उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम) अधिनियम, 1950[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1950)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 8 फरवरी, 1950 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7 फरवरी, 1950 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 10 फरवरी, 1950 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 10 फरवरी, 1950 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

विधेयकों तथा अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा विहित करने के लिए

अधिनियम

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में अन्य बातों के साथ–साथ इस बात की व्यवस्था है कि किसी राज्य के विधान मण्डल मे पुरः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा से भिन्न अन्य भाषा हो सकती है यदि विधान मण्डल ने ऐसा विहित किया हो ,

अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम) अधिनियम, 1950 कहलायेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

विधेयकों तथा अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिन्दी होगी

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में पुरः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी ।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये उ0 प्र0 असाधारण गजट दिनांक 10 फरवरी, 1950 देखें।